न्यायालय

फर्द अहकाम
– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

जगदीश बनाम अप्रार्थीगण

84/24 (2024/27 online number) मक्खनलाल व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये विवादित आराजी खसरा नम्बर 491 रकबा 0.5058है0,खसरा न0 531 रकबा 1.1633 है0 व खसरा न0 659 रकबा 0.8852 है0 वाके ग्राम कानोता पटवार हल्का कानोता भू–अभि0.नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के संमबन्ध में उभयपक्षों को आगामी पेशी दिनांक 26.04.2024 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि की मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखेंगे । उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। तलबाना अप्रार्थी आज ही पेश करें। बाद जॉच सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा , सम्मन भेजकर डाक रसीद आगामी तारीख से पूर्व पेश करें। इस आशय का शपथ पत्र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता आज ही पेश करें पत्रावली पुनः दिनांक 26/04/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	राजी नोटिस 25.4.24
४	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी । पत्रावली दिनांक 3.05.24 को पेश हो ।	
५	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी । पत्रावली दिनांक 7/5/24 को पेश हो ।	

Scanned with OKEN Scanner

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	19/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19/8/25 को पेश हो।	
	20/8/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बावजूद सम्यक् तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 20/8/25 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	
	28/8/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात पाते हैं कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1561 / 591 0.8852 / 0.5058 हे०, ख.नं. 531 / 1.1633 हे० वाके ग्राम कानोता तह० बस्सी, जयपुर	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		में वर्तमान ~~जमा~~ जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीएवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 गी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है जिसका उभयपक्ष के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है यदि उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन होने से पूर्व खुर्द-बुर्द किया जाता है, तो उभयपक्ष को अपूर्णीय क्षति होना संभावित है। अत: वादग्रस्त भूमि ख.न. 491 रकबा 0.5058 हे० व ख.नं. 654 रकबा ख.नं. 531 रकबा 0.8852 हे० 1.1633 हे० के सम्बन्ध में तायफैसला मूल दावा के उभयपक्षों को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28/08/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	